राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.1(7)वित्त/साविलेनि/2011 जयपुर, दिनांक 6/9/2013

आदेश

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अन्तर्गत ई–टेण्डरिंग में टेण्डर फार्म फीस, बिड सिक्योरिटी, RISL की प्रोसेसिंग फीस e-payment के माध्यम से जमा कराये जाने हेतु अन्तरिम व्यवस्था निम्नानुसार निर्धारित की जाती है –

1. ई–पेमेंट से प्राप्त राशि के लेखांकन हेतु कोष, जयपुर (शहर) को Unified Treasury घोषित किया जाता है।
2. बैंको द्वारा e-scroll and Physical Scroll (राजकोष में निर्धारित) व चालानो की वांछित सूचना प्रपत्र 45–A में नियमित रूप से Unified Treasury को भेजी जावेगी। बैंक के द्वारा भेजे जाने वाले ऐसे चालानों में जमाकर्ता का विवरण अंकित नही किया जाकर सिस्टम जनरेटेड यूनिक रेफरेंस नंबर का उल्लेख किया जावेगा ताकि टेण्डर प्रक्रिया में भाग लेने वाले निविदादाताओं की गोपनीयता सुनिश्चित बनी रहे।
3. निविदा करने वाले कार्यालय से संबंधित कोष द्वारा बैंक स्क्रोल में प्राप्त ट्रेजरी कोड एवं यूनिक रेफरेंस नम्बर के आधार पर Ty.32 में जमा राशि का इंद्राज किया जायेगा जो यूनिफाईड कोष की सूचना पर आधारित होगा।
4. उपापन संस्था निविदा खोलने से पूर्व उक्त प्रक्रिया से नियमानुसार वांछित राशि जमा होने की पुष्टि कर लेगी इस हेतु ट्रेजरी वाउचर नंबर से भी पुष्टि की जावेगी।
5. उपापन संस्था के द्वारा असफल निविदादाता की बिड सिक्युरिटी को संबंधित कोष कार्यालय के मार्फत ही लौटाया जावेगा। इस हेतु कोष द्वारा चालान के यूनिक रेफरेंस नंबर की कोष कार्यालय के अभिलेख से पुष्टि की जाएगी। रिफण्ड का कार्य कोष में पूर्व प्रचलित प्रावधान व प्रक्रिया के अनुसार ही किया जावेगा, किन्तु कोष कार्यालय द्वारा सिस्टम से प्राप्त रेफरेंस नम्बर से भी पुष्टि सुनिश्चित की जावेगी।

.....2

6. RISL की प्रोसेसिंग फीस कोष कार्यालय के अभिलेख में पृथक् से सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DOIT) के राजस्व मद में जमा की जाएगी। DoIT द्वारा आवश्यक प्रावधान करवाकर राशि का आहरण कर RISL को डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक के माध्यम से भुगतान की जाएगी।

उक्त अन्तरिम व्यवस्था महालेखाकार राजस्थान से प्राप्त अनुमति अनुसार 25 नमूना निविदा प्रक्रियाओं हेतु निर्धारित की जा रही है।

परीक्षण उपरांत सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, महालेखाकार राजस्थान, जयपुर से अनुमोदन प्राप्त करेगा तथा तदानुसार अन्तिम व्यवस्था निर्धारित की जाएगी।

आज्ञा से,

(अखिल अरोरा)
शासन सचिव वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. उपमहालेखाकार (लेखे) भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान जयपुर को उनके पत्रांक टी.एम./आई. एफ. एम.एस. ई–प्रोक्योंरमेंट/के–61/2012–13/237 दिनांक 21.02.2013 के संबंध में ।
2. प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग
3. आयुक्त एवं शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर।
5. महानिदेशक रीको (उद्योग भवन) जयपुर।
6. महानिदेशक RSRDCC जयपुर।
7. कोषाधिकारी कोष जयपुर शहर
8. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग,

(उर्मिला जोशी)
संयुक्त शासन सचिव